भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1596

दिनांक 12.12.2023 को उत्तरार्थ

राजस्थान में पंचायती राज संस्थायें

1596. श्री जुगल किशोर शर्मा:
श्री सी.पी. जोशी:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) और (ख) पंचायती राय मंत्रालय (एमओपीआर) वित्तीय वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है, जिसका मुख्या उद्देश्य सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और अन्य हितधारकों को नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए उनकी शासन क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को सक्षम बनाना है ताकि ग्राम पंचायतें प्रभावी ढंग से कार्य कर सके और जमीनी स्तर पर स्थानीयकरण के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करें।

इस योजना के तहत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में सुधार हेतु ईआर और पदाधिकारियों के लिए व्यापक गतिविधियाँ जैसे प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन, प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, लिखित सामग्री, प्रशिक्षण फिल्मों और सामग्री के अन्य रूपों सहित प्रशिक्षण सामग्री का विकास, मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, ईआर और पंचायत पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सैटेलाइट आधारित प्रशिक्षण, राज्यों के अंदर/बाहर एक्सपोजर विजिट आदि के लिए राजस्थान सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता दी जा रही है। इसके अलावा, राजस्थान सहित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की प्रशिक्षण प्रगति को कैप्चर करने हेतु प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) बनाया गया है। टीएमपी पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान में विभिन्न स्तरों पर 4726 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया, जो **अनुबंध** में दिया गया है।

****

अनुबंध

दिनांक 12.12.2023 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1596 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं	संगठन का नाम	प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया (दिनांक 07/12/2023 तक)
1	एसआईआरडी	1878
2	डीपीआरसी(जिला पंचायत-टोंक)	408
3	डीपीआरसी (जिला पंचायत - सवाई माधोपुर)	106
4	डीपीआरसी (जिला पंचायत - अलवर)	226
5	डीपीआरसी(जिला पंचायत - बांसवाड़ा)	48
6	डीपीआरसी(जिला पंचायत-चूरू)	765
7	डीपीआरसी(जिला पंचायत-जालौर)	100
8	डीपीआरसी (जिला पंचायत - झालावाड़)	79
9	डीपीआरसी (जिला पंचायत - कोटा)	65
10	डीपीआरसी (जिला पंचायत - अजमेर)	197
11	डीपीआरसी(जिला पंचायत-प्रतापगढ़)	159
12	बीपीआरसी (मध्यवर्ती पंचायत- डूंगला)	7
13	बीपीआरसी (मध्यवर्ती पंचायत- खेतड़ी)	315
14	बीपीआरसी (मध्यवर्ती पंचायत-प्रतापगढ़)	274
15	बीपीआरसी (मध्यवर्ती पंचायत- अलसीसर)	75
16	बीपीआरसी (मध्यवर्ती पंचायत- कठूमर)	24

* एसआईआरडी- राज्य ग्रामीण विकास संस्थान
डीपीआरसी- जिला पंचायत संसाधन केंद्र
बीपीआरसी- ब्लॉक पंचायत संसाधन केंद्र

** वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रशिक्षण अभी भी जारी है।